राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शिवसहाय बनाम सरकार 65/2013 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। राजकीय पैरोकार उपस्थित एवं शेष अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/10/2025 को पेश हो।	
09.10.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि वाके ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल ख.नं. 684 रकबा 0.08 हैक्टेयर, ख.नं. 865 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 866 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 867 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख.नं. 868 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख.नं. 869 रकबा 0.12 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 0.75 हैक्टेयर के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं 4 दामोदर पुत्र चिमना जाति ब्राह्मण पुरोहित के नाम दर्ज है, जिसका राजस्व लगान 23.01 रुपया है तथा उक्त आराजी चाही जाव किस्म की भूमि है जिसके आगे विवादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजियात गत साबिक खसरा नम्बरान 101/1562 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के खातेदारी कॉलम में प्रतिवादी नं. 4 का नाम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी सं. 4 नाऔलाद फोत हो चुका है। जिसके कोई वारिस नहीं है, परन्तु वाद में इस कारण पक्षकार बनाया गया है, की हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी स. 4 का नाम दर्ज है, जबकि यह वाद दायर करने से पूर्व ही फौत हो चुका है। विवादित आराजियात पर बजमाने जागीर के समय से ही वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजीयात पर पूर्व में वादीगण 1 व 2 के पिता व चाचा स्व. परभात्या उर्फ प्रभात, रामनाथ पुत्रान मुरली कुमावत व वादीगण 3 व 4 के स्व. दादाजी प्रभात्या पुत्र मुरली का 2/3 हिस्सा व वादीगण 5 के स्व. पिताजी सेंडू पुत्र रतना जाति गुर्जर का 1/3 हिस्सा पर शामलाती कब्जा काश्त रहा है तथा वादीगण उक्त आराजीयात पर स्वयं के शामलाती गै.मु. चाह से सिंचाई कर भूमि को दो फसली बना रखी है तथा निर्बाध रुप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा लगान सरकारी भी स्वयं के द्वारा जमा करवाया जा रहा है। विवादित आराजियात पर राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 प्रभाव में आने से पूर्व ही वादीगण का कब्जा काश्त था तथा वादीगण के स्वत: ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये थे परन्तु राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटि के कारण खातेदारी कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शिवसहाय बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

165/2013

जिसकी जानकारी वादीगण को पूर्व में नहीं थी। जब वादीगण अपने कब्जेशुदा विवादित आराजियात की जमाबंदी की सत्य प्रतिलिपि हल्का पटवारी से प्राप्त करने दिनांक 05.09.06 को गया तो हल्का पटवारी ने कहा कि विवादित आराजियात में आपका नाम दर्ज नहीं है। यह सुनकर वादी न. 1 को बढ़ा आश्चर्य हुआ। वादी जिलाधीश कार्यालय में आकर गत राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपि दिनाक 07.09.06 को प्राप्त की तथा कुछ नकलें दिनांक 10.11.06 को प्राप्त होने पर वादीगण को प्रथम बार यह जानकारी हुई कि विवादित आराजियात की जमाबंदी के खातेदारी कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज न होकर मृतक प्रतिवादी नं. 4 का नाम चल रहा है जिस पर वादीगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह वाद अविलम्ब मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी नं. 4 ने कभी भी विवादित आराजियात पर काश्त नहीं की है। जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरियों से हो रही है तथा वादीगण के संयुक्त गे.मु. चाह से ही विवादित आरजियात की सिंचाई की जाती रही है। इस प्रकार विवादित आराजियात पर राजस्थान काश्तकारी कानून प्रभाव में आने से पूर्व ही वादीगण व वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है तथा वादीगण का काफी समय से एडवर्स कब्जा भी चला आ रहा है। इस प्रकार वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि उक्त आराजियात में स्वयं के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा वादीगण द्वारा यह वाद मान्य न्यायालय के समक्ष बाबत घोषणा खातेदारी अधिकारों का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा इस कदर डिक्री किया जावे कि वादपत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजियांत में वादीगण लगा. 4 को 2/3 व प्रतिवादी नं. 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाये। वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण नं. 1 बाबत इन्द्राज दुरुस्ती कर इस कदर डिक्री किया जावे कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी से 4 का नाम हजब किया जाकर वादीगण के नाम इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28/01/2013 पारित करते हुये वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमे अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शिवसहाय बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	65/2013	

अधिवक्ता अपीलार्थी की लिखित बहस एवं राजकीय अधिवक्ता की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद घोषणा खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हुआ था एवं विधि के प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई पक्षकारान तनकीवार साक्ष्य सबूत का परिक्षण कर घोषणा के वाद का निस्तारण किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर तनकीयात कायम कर उसका विवेचन/परिक्षण किये बगैर ही सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये वादी का वाद ख़ारिज कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं क़ानूनी प्रावधानों के विपरित जाहिर होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/01/2013 विधिसम्मत प्रतीत नही होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई पक्षकारान तनकीयात का परिक्षण/विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |